न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

–:: विविध आदेश ::–

(संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष–2020)

बैतूल, दिनांक 8 09 2020

क्रमांक 196 /सी.जे.एम. /2020

मैं **अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** बैतूल, जिला–बैतूल, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2020 दिनांक 19–06–2020 के अनुकमांक 07 एवं 08 में दर्शित श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई एवं श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई की समस्त उपकंडिकाओं को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन उपकण्डिकाओं का संस्थापित करती हूँ जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी–

क्र.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार**
(1)	(2)	(3)
7	**श्रीमती रंजीता राव सोलंकी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई, जिला–बैतूल	1. **आरक्षी केन्द–साईखेड़ा** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उदभूत प्रकरण छोड़कर, समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 2. **आरक्षी केन्द–साईखेड़ा, मुलताई, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न)**के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान से उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3. **आरक्षी केन्द–साईखेड़ा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) से उदभूत समस्त प्रकरण। 4. **आरक्षी केंद साईखेड़ा** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र। 5. **तहसील मुख्यालय मुलताई** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उदभूत प्रकरण। 6. **तहसील मुख्यालय मुलताई** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण। 7. **आरक्षी केन्द–मुलताई, साईखेड़ा, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण)** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125, 127 द.प्र.स. के अतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. **तहसील मुख्यालय मुलताई** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधो से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

		9. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8	**श्रीमति कमला गौतम,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, जिला– बैतूल**	1. **आरक्षी केन्द्र–मुलताई, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण)** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 2. **आरक्षी केन्द्र–मुलताई, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न)** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है), से सम्बन्धित समस्त प्रकरण। 3. **आरक्षी केंद्र मुलताई, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण)** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद–पत्र। 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

साथ ही परिशिष्ट 'स' के अनुक्रमांक 5 एवं 6 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।

–:: परिशिष्ट – 'स' ::–

बलात्कार से संबधित प्रकरणों मे पीड़ित महिलाओ के **धारा 164 द.प्र.सं.** के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :–

कमाक	न्यायिक अधिकारियो के नाम	आरक्षी केद्र
5.	**श्रीमति रंजीता राव सोलंकी,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई**	1. आरक्षी केद्र– बोरदेही 2. आरक्षी केन्द्र– मुलताई
6.	**श्रीमती कमला गौतम** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई**	1. आरक्षी केन्द्र– साईखेड़ा 2. आरक्षी केन्द्र– आमला

पूर्व कार्यविभाजन यथावत रहेगा।

07/9/20

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला बैतूल म0प्र0

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त संशोधित आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

(अनुमोदित)
8/9/20
District & Sessions Judge
Betul (M.P.)

पृ0 कमांक 196/सी.जे.एम./2020 बैतूल दिनांक 08-09-2020

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर।
(2) श्री दीनानाथ वाड़िवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
(3) श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
(4) सुश्री श्वेता खरे , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
(5) श्रीमती प्रियंका कुशवाहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
(6) श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
(7) श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई
(8) श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई ।
(9) श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
(10) श्रीमती मंजूषा तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही।
(11) श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही
(12) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
(13) कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
(14) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला
(15) जिला अभियोजन अधिकारी, बैतूल
(16) जिला दण्डाधिकारी, बैतूल
(17) पुलिस अधीक्षक, बैतूल
(18) मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल
(19) जिला आबकारी अधिकारी, बैतूल
(20) जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल
(21) किशोर न्याय बोर्ड बैतूल।
(22) श्रम विभाग, बैतूल
(23) थाना प्रभारी, थाना--बैतूल, गंज/सारनी/जी.आर.पी.आमला/झल्लार/बीजादेही/ए.
जे.के.बैतूल/शाहपुर/चोपना/रानीपुर/बैतूल
बाजार/मुलताई/साईखेड़ा/बोरदेही/
आमला/भैंसदेही/चिचोली/आठनेर/मोहदा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/9/20

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला–बैतूल (म.प्र.)